

यापन सहकार्य अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - जिलाडगाह (राज)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - कलक्टर)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 5/1/25

दापर दिनांक 02/10/25

निर्णय दिनांक 02/10/25

ग्रामीण सेवा शिविर-2025



क्र.सं.	नाम- ग्राम	आ.न	रिपोर्ट			कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1			महोदय श्री निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।			तहसीलदार कपासन की अनुसूचा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>कलक्टर</u> प.ह. <u>कलक्टर</u> खातासं <u>133</u> में वर्तमान प्राविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			वर्तमान प्राविष्टी	शुद्ध प्राविष्टी		
			स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया		
			हस्ताक्षर (प्राविष्टी)	हस्ताक्षर (शुद्ध प्राविष्टी)	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन
			<u>कलक्टर</u> पटवारी	<u>कलक्टर</u> पटवारी	<u>कलक्टर</u> पटवारी	<u>कलक्टर</u> पटवारी

प्रतिनिधि पालनाथ:-

कलक्टर
पटवारी

1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (प्र.अ.) कपासन

कलक्टर
पटवारी